विवरणिका 2021

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के विषय में (भाफ़िटेसं)

इतिहास:

पुणे के प्रभात स्टुडियो परिसर में सन् 1960 में " भारतीय फ़िल्म संस्थान " के रूप में स्थापित भाफ़िटेसं, सिनेमा में गुणवतापूर्ण शिक्षा की उच्च विरासत को गौरवान्वित करता है। नई दिल्ली में पूर्व स्थित टेलीविज़न स्कंध को 70 के दशक में पुणे में स्थापित करते हुए, फ़िल्म और टेलीविज़न के प्रशिक्षण को एक ही छत के नीचे लाया गया। सन् 1971 में संस्थान का " भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान " के रूप में पुनः नामांकन किया गया। अपने प्रारंभ में टेलीविज़न स्कंध, मुख्य रूप से दूरदर्शन के कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तथापि कुछ वर्षों से यह संपूर्ण सुविधाओं से युक्त जो विशेषज्ञताओं के साथ टेलीविज़न में गहन पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए एक शैक्षिक विभाग के रूप में विकासित हो गया।

दर्शन:

दृश्यात्मक और परफ़ॉर्मिंग कलाकारों के साथ कथाकारों की एक नयी पीढ़ी के लिए संरचना करते हुए भाफ़िटेसं गर्व महसूस करता है, कि वह देश के कोने-कोने से विद्वानों को आकर्षित करता है। विभिन्न पार्श्वभूमि के छात्रों को फ़िल्म तथा टेलीविज़न के विभिन्न पहलुओं पर हमारे पूर्णकालीन, प्रत्यक्ष-अभ्यास, गहन शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम होने से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, छात्रों और अनुदेशक के बीच गहन वैचारिक अदान-प्रदान सुनिश्चित हो जाता है। इसके अतिरिक्त फ़िल्म, टेलीविज़न और मीडिया इंडस्ट्री के प्रसिध्द व्यक्ति और विख्यात व्यवसायी अपना ज्ञान और अनुभव छात्रों के साथ बाँटने के लिए समय-समय पर भाफ़िटेसं का दौरा करते हैं।

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के विषय में (भाफ़िटेसं)

सहयोग:

भाफ़िटेसं, फ़िल्म और टेलीविज़न स्कूलों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सिलेक्ट **(सेंटर इंटरनेशनल डी लिआइसन डेस इकोल्स डी सिनेमा एट डी टेलीविजन)** का सदस्य है। इसके अलावा, भाफ़िटेसं प्रति वर्ष विश्वभर के कई प्रसिध्द फ़िल्म, टीवी तथा मीडिया स्कूलों के सहयोग से छात्र विनिमय कार्यक्रम भी संचालन करता है।

पुरस्कार और प्रशंसाः

भाफ़िटेसं के छात्रों और पूर्व छात्रों के द्वारा निर्मित फ़िल्मों ने भारत तथा विदेश के फ़िल्म समारोहों में प्रति वर्ष अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पूर्व छात्रों ने सिनेमा, टेलीविज़न और इनसे संबंधित इंडस्ट्री के सभी कार्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व छात्रों सहित हमारे छात्रों के द्वारा जीते गये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं -

- पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री
- दादासाहेब फाळके पुरस्कार
- विभिन्न श्रेणियों में डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ लघु फ़िल्मों, फ़ीचर फ़िल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- ऑस्कर (एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स और साइन्सेस)
- सिलेक्ट (सेंटर इंटरनेशनल डी लिआइसन डेस इकोल्स डी सिनेमा एट डी टेलीविजन)) पुरस्कार
- कांस, बर्लिन, वेनिस, सनडान्स, रॉटरडैम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में पुरस्कार तथा स्क्रीनिंग
- आईएफ़एफ़आई, एमएएमआई, आईएफएफके आदि फ़िल्म समारोहों में पुरस्कार और प्रशंसा

भाफ़िटेसं की प्रशासनिक संरचना

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। भाफ़िटेसं सोसायटी अध्यक्ष के द्वारा चलायी जाती है, जो फ़िल्म, टेलीविज़न, कला, साहित्य अथवा अकादिमक क्षेत्रों की सुप्रसिध्द हस्ती होता है। सोसायटी के अध्यक्ष, शासी परिषद, (शाप) और स्थायी वित्त समिति के (स्थाविस) अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। वर्तमान में इस पद पर श्री शेखर कपूर हैं।

सोसायटी के सदस्यों में से शासी परिषद (जी.सी) का गठन होता है। यह भाफिटेसं की सर्वोच्च निकाय है। परिषद संस्थान के उद्देशों और लक्ष्यों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए सभी प्रमुख नीति निर्णय लेने हेतु उत्तरदायी है। जो शैक्षिक तथा वित्तीय विषयों संबंधी मामलों में भाफ़िटेसं को सलाह देने की उतरदायी होती है। शासी परिषद (जीसी), शैक्षिक परिषद और स्थायी वित्त समिति(एसएफसी) की नियुक्ति करती है।

संस्थान के निदेशक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं। श्री भूपेंद्र कैन्थोला, भाफ़िटेसं के वर्तमान निदेशक हैं।

विशेषज्ञता के विभाग

फ़िल्म और टेलीविज़न स्कंधों में विशेषज्ञता विभाग क्रमश: स्नातकोत्तर पदिवका और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अभिकल्पित और निष्पादित करता है। प्रस्तुत पाठ्यचर्चा की व्यापकता और गहनता संस्थान के वृहद शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ, प्रत्येक विभाग का दार्शनिकता के द्वारा मार्गदर्शन करती है।

जबकि प्रत्येक विभाग अपनी विशेषज्ञता के साथ पाठ्यक्रम चलाने के लिए उतरदायी है, फ़िर भी एकीकृत और बहुआयामी अध्ययन का अनुभव प्रदान कराने के लिए ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। पुरस्कार विजेता संकाय और सिनेमा के बारे में अति उत्साहित और फ़िल्म और टेलीविज़न में शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित (संकाय सदस्यों) से लैस, ये विभाग उद्योग-मानक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याध्निक सुविधाएँ एवं उपकरण उपलब्ध करवाते हैं।

उभरती शैली और तकनीक के विषय में सबसे अग्रणीय रहने के लिए पाठ्यक्रमों की संख्या और उनके स्वरूप को लगातार संशोधनों से गुज़रना पड़ता हैं और अलग-अलग अवधि के विभिन्न नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये गए हैं। इस प्रकार के विकास ने भाफ़िटेसं को अध्ययन करने का एक समृध्द, अत्यधिक बहुआयामी और व्यावयसायिक स्थान बना दिया है।

फ़िल्म स्कंध में विशेषज्ञता के विभाग

- 1. निर्देशन एवं पटकथा लेखन
- 2. चलचित्रांकन
- 3. संपादन
- 4. ध्वनि मुद्रण और ध्वनि संरचना
- 5. कला निर्देशन और निर्माण संरचना
- 6. स्क्रीन अभिनय
- 7. पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़)

टेलीविजन स्कंध में विशेषज्ञता के विभाग

- 1. निर्देशन
- 2. इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन
- 3. विडियो संपादन
- 4. ध्वनि मुद्रण और टीवी अभियांत्रिकी

फ़िल्म स्कन्ध में स्नात्तकोत्तर पदविका

- 1. निर्देशन एवं पटकथा लेखन
- 2. चलचित्रांकन
- 3. संपादन
- 4. ध्वनि मुद्रण और ध्वनि संरचना

- 5. कला निर्देशन और निर्माण संरचना
- 6. स्क्रीन अभिनय
- 7. पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़)

पाठ्यचर्या का अवलोकन :

विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस):

भाफ़िटेसं के फ़िल्म स्कंध ने हाल ही में, उच्चतर शैक्षिक मानकों के अनुरूप एक बेहतर अध्ययन का अनुभव प्रदान करने के लिए एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को अपनाया है। पाठ्यक्रमों के मुख्य क्षेत्र सतत मूल्यांकन पर ज़ोर देने वाले दृष्टिकोण केंद्रित (लरनर सेन्ट्रिक अप्रोच) पर आधारित हैं। शैक्षणिक कैलेंडर को प्रत्येक वर्ष में दो सत्रों में विभाजित किया गया है।

सामान्य मॉड्यूल:

सत्र 1- निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्रांकन, संपादन, ध्विन मुद्रण और ध्विन संरचना और कला निर्देशन और निर्माण संरचना के छात्रों के लिए एक पिरचयात्मक सामान्य पाठ्यक्रम है। तथापि, स्क्रीन अभिनय और फ़ीचर फ़िल्म पटकथा लेखन के छात्र भी इस मॉड्यूल में भाग लेते हैं लेकिन केवल सीमित अवधि के लिए । इस मॉड्यूल में फ़िल्म निर्माण से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं और कौशल की समझ प्राप्त करने हेतु छात्रों के लिए सैद्धांतिक कक्षाएँ, प्रायोगिक सत्र और सामूहिक एवं व्यक्तिगत अभ्यास आदि सम्मिलित हैं।

विशेषज्ञताः

इस विशेषज्ञता मॉड्यूल में छात्र के लिए आयोजित व्याख्यानों, प्रायोगिक सत्रों और कार्यशालाओं के माध्यम से विशेषज्ञता के अपने चुने हुए क्षेत्र में व्यवसायिक कौशल विकसित करते हैं।

निर्देशन एवं पटकथा लेखन

यह पाठ्यक्रम फ़िल्म निर्देशन की और पटकथा लेखन एक फ़िल्म की संकल्पनात्मकता लेकर फाइनल फ़िल्म के निर्देशन और पटकथा लेखन के सौंदर्य, शिल्प और टेकनीक को सीखने के विशेष अवसर प्रदान करता है। छात्रों को कठोर सिद्धां तिक कक्षाओं, प्रदर्शनों और व्यावहारिक मॉड्यूलों के माध्यम से विभिन्न कथात्मक रूपों और वृत्तचित्र फ़िल्म - निर्माण, दोनों में विभिन्न कथा रूपों को जनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी व्यक्तिगत कलात्मक आवाज़ / दृष्टि की खोज करने और अपने सिनेमाई कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित होते हैं। छात्र ऐतिहासिक जागरूकता और भारत के विविध सांस्कृतिक लोकाचार को समझने के माध्यम से समकालीन समय में एक अंतर्दृष्टि विकसित करते हुए स्वंय विकसित होते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधिः

3 वर्षों को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है।

स्थानों की कुल संख्याः

11 (ग्यारह)

पात्रता के मानदण्ड :

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्यः

संदीप चॅटर्जी, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष सिद्धार्थ सिन्हा, सहयोगी प्राध्यापक अनुपम बरवे, सहयोगी प्राध्यापक गंगा मुखी, सहायक प्राध्यापक गणेश गायकवाड़, सहायक प्राध्यापक

चलचित्रांकन

चलचित्रांकन लाइट के साथ पेंटिंग और मूर्तिकला और फ्रेमिंग के साथ सिनेमात्मक नियंत्रण का सौन्दर्य, संयोजन और कैमरा प्रचालन तकनीकियों का संकल्पनात्मक ज्ञान हैं। जैसा कि कला एवं शिल्प दोनों के रूप में यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें लाइट, शेडोज, समय गतिशीलता एवं स्थान का मेल सिम्मिलत होता है। भाफ़िटेसं में, चलचित्रांकन के छात्र मनोरम चित्र (कैप्टिवेटिंग इमेजेज़) बनाने के लिए तकनीकी कौशल एवं सृजनात्मक संवेदनशीलता को भी समझते हैं। चलचित्रांकन के छात्रों को प्रथम सेमेस्टर के सामान्य मॉड्यूल में फ़िल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाता है। एक बार विशेषज्ञता प्रारम्भ होने पर वे कैमरा के विस्तृत अभ्यास के साथ फोटोग्राफ़िक (थ्योरी), फ़ोटोग्राफी के सिद्धांत, संकल्पनाओं और लाइट की तकनीकियों को सीखते हैं। वे कार्यशालाओं के लिए परिसर में आने वाले अग्रणी चलचित्रांकनकार के साथ मास्टर कक्षाओं, प्रश्लोत्तर सत्रों एवं परिचर्चा सत्रों में सहभागी लेते हैं।

समन्वित अभ्यास और प्रोजेक्टों के दौरान छात्र मन में समाये हुए भावों को उजगार करने के लिए लाइट की तकनीकियों और प्रगत अभ्यासों को सीखते हैं। यहाँ फुल एचडी, 2 और उपयुक्ति कैमकोडर्स, डिजिटल एचडी िसने कैमरों एवं अत्याधुनिक डिजिटल सिनेमा कैमरों जैसे एलेक्सा एक्स आर, एलेक्सा एक्स टी और एलेक्सा मिनी का उपयोग कर प्रगतिशील निर्देशों के माध्यम से सीखने की सुविधा उपलब्ध है। भाफ़िटेसं में लाइटिंग रिग्ज सिहत लाइटिंग प्रायोगिक, स्टूडियों डॉलिज, क्रेन्स, एलइडी टंगस्टन और एच एम आई लाइट्स सिहत 2 संपूर्ण सुसिज्जित शूटिंग फ़्लोर हैं। इसमें बेस लाइट और रिज़ॉल्व कलर ग्रेडिंग सिस्टम के साथ डिजिटल प्रयोगशालाएँ है। भाफ़िटेसं में कार्यरत ब्लैक एण्ड व्हाइट 16/35 प्रयोगशाला भी है, जो भारत में एकमात्र है।

पाठ्यक्रम अवधिः 3 वर्षों को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है। स्थानों की कुल संख्याः 11 (ग्यारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:

प्रसन्न जैन, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हीरू केशवानी, सहायोगी प्राध्यापक प्रशांतनु महापात्र, सहायोगी प्राध्यापक टी. थिवाकरन् , सहायक प्राध्यापक सचिन शर्मा, सहायक प्राध्यापक

संपादन

संपादन के छात्रों को संपादन की कला एवं सीखने के अन्य संबंधित क्षेत्रों में नवीन प्रयोगों एवं अनुप्रयोगों के माध्यम से स्व-संकाय विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह पाठयक्रम छात्रों को अवधारणा रूप से समृद्ध करता है तथा उन्हें उनके सांस्कृतिक संसाधनों से परिचित कराता है और सिनेमा के विभिन्न रूपों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। यह पाठ्यक्रम कथात्मक सिनेमा और वृत्तचित्र के विभिन्न रूपों में संपादन कला के अभ्यास तथा उनकी अपनी पृथक शैली को विकसित करने के बहुआयामी अवसर प्रदान करता है।

छात्र प्रथम सेमेस्टर में कॉमन इंटेगेटिड मॉड्यूल में हिस्सा लेने के पश्चात् वे अपने सम्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करना शुरू करते हैं। छात्र अपने कार्यभार के साथ-साथ समन्वित प्रॉजेक्ट्स के लिए एवीआईडी, एफ़सीपी एवं एडोब प्रीमियर जैसे नॉन लिनियर प्रणाली सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विभाग, सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित संपादकों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ ही फ़िल्मी दुनिया की जानकारी प्रदान करने के लिए फ़ील्ड ट्रिप एवं अध्ययन भ्रमण का आयोजन करता है।

पाठ्यक्रम अवधिः

3 वर्षों को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है।

स्थानों की कुल संख्याः

11 (ग्यारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्यः

के. राजशेखरन, सहयोगी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष अमलान चक्रवर्ती, सहायक प्राध्यापक ए. वी. नारायणन, सहायक प्राध्यापक कृष्णनेन्दु सरकार, सहायक प्राध्यापक देवाशीष सरकार, सहायक प्राध्यापक

ध्वनि मुद्रण एवं ध्वनि संरचना

'ध्विन मुद्रण एवं ध्विन संरचना' पाठ्यक्रम, मीडिया में ध्विन की तकनोलॉजी एवं सृजनात्मक उपयोग का मिश्रण है। इसकी ध्विन संरचना सुनने एवं उसके विश्लेषण में प्रशिक्षण रीप्रोड्यूस्ड ध्विन के आलोचनात्मक पहुँच के लिए आवश्यक कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहले सेमेस्टर में सभी विभागों के साथ प्रथम चरण के समन्वय के पश्चात् छात्र ध्विन मुद्रण एवं ध्विन संरचना में शिक्षण आधारित समेकित ज्ञान के लिए अग्रसर होते हैं। छात्रों के पास व्यावहारिक मूल रिकॉर्डिंग के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने, अभ्यास करने तथा अन्य छात्रों के साथ सामूहिक अभ्यास एवं प्रोजेक्ट करने का अवसर होता है। विभाग के पास टेप एवं डिस्क आधारित प्रणालियों के साथ डिजिटल एवं एनलॉग उपकरण का मिश्रण है।

विभाग में टेप और डिस्क आधारित दोनों प्रणालियों के साथ डिजिटल और एनालॉग उपकरणों का संयोजन उपलब्ध है। ध्विन मुद्रण के दो स्टूडियो है, एक व्यवसायिक रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा डिबंग मिश्रण और डायलॉग लूपिंग के लिए हैं। बड़ा स्टूडियो डॉल्बी डिजिटल तकनीक से समर्थित है। विभाग में पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो रिकार्डर, एचडीडी आधारित वर्कस्टेशन, अनेक आउटबोर्ड इफ़ेक्टस् प्रोसेसिंग इक्यूपमेंट, ऑटोमेटेड मिक्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक लूपिंग प्रणाली और अच्छी तरह से सुसन्जित एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला भी है।

पाठ्यक्रम अवधिः

3 वर्षों को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है।

स्थानों की कुल संख्याः

11 (ग्यारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

हरीश के.एम, सहयोगी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष मघु अप्सरा,सहयोगी प्राध्यापक मिलिंद बापट, सहायक प्राध्यापक मोनाल अरोन, सहायक प्राध्यापक पार्थ सारथी सन्याल,सहायक प्राध्यापक

कला निर्देशन एवं निर्माण संरचना

यह पाठ्यक्रम कला निर्देशन एवं निर्माण संरचना के विभिन्न पहलुओं में प्रायोगिक प्रशिक्षण पर बल देने के साथ ही निर्माण संरचनाकार की दृष्टि से पटकथा को समझने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ छात्र फ़िल्मों की मूल तकनीक सीखते हैं तथा कॉमन मॉड्यूल में भाग लेकर फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझते है और उसके पश्चात् विशेषज्ञता प्रारम्भ होती है। यहाँ थ्योरी एवं प्रैक्टिकल कार्य में कथात्मकता के अनुकूल स्टोरी बोर्डिंग, गितमान तस्वीरों के लिए डिज़ाइन सिद्धांत, सेट डिज़ाइन, वेशभूषा एवं रंगमंचीय सामग्री शामिल होती हैं। इसके साथ ही ड्राफ़्टिंग, डिज़ाइनिंग एवं इफ़ेक्ट्स, वर्चुअल सेट डिज़ाइनिंग इत्यादि के लिए उपयोगी विभिन्न सॉफ़्टवेयर का अध्ययन किया जाता है। थ्योरी एवं प्रैक्टिकल कक्षाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं। प्रैक्टिकल कक्षाओं में कार्पेट्री, पेंटिंग, मोल्डिंग एवं सेट निर्माण पर सत्र शामिल होते हैं। सुप्रसिद्ध कला निर्देशकों के साथ नियमित वार्तालाप, अध्ययन दौरों, स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ कार्यशालाओं, एनिमेशन तकनीक तथा सेट विश्लेषण स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छात्रों की क्षमता को बढ़ाते हैं। सेट डिज़ाइन एवं निर्माण के निकट अध्ययन के लिए स्थानीय शूटिंग के लिए अध्ययन यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। कक्षाओं के कमरे (क्लासरूम) आलेखन सुविधा एवं उच्चस्तरीय सॉफ़्टवेयर वाले कम्प्यूटरों से सुसन्जित हैं। इस विभाग में कार्पेट्री, पेंटिंग, मोल्डिंग, कॉस्ट्यूम एवं प्रोपर्टी अनुभाग भी सिम्मिलत है।

पाठ्यक्रम अवधिः
3 वर्षों को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है।
स्थानों की कुल संख्याः
11 (ग्यारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

विक्रम वर्मा, सहयोगी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष आशुतोष कविश्वर, सहायक प्राध्यापक उज्ज्वल वाय.गावंड , सहायक प्राध्यापक

स्क्रीन अभिनय

इस दो वर्षीय अभिनय पाठ्यक्रम को चार सत्रों में विभाजित किया गया है और इसकी संरचना सिनेमा जगत के निरंतर बदलते और विकासित परिवेश को समझने और उसके सामना करने के लिए छात्रों को सक्षम बनाने के लिए की गयी है। भाफ़िटेसं अभिनय पाठ्यक्रम का उद्देश्य, छात्रों अभिनेताओं में कल्पना, भाव एवं बौद्धिकता को जागृत करना है। इसके लिए उन्हें रूपांतरित होती ऊर्जा एवं अभिनय की सार्वभौमिकता के प्रति जागरूक किया जाता है और उन्हें प्रदर्शन में उत्कृष्ट बनाने के लिए अपेक्षित कौशल हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। छात्र अपने प्रशिक्षण को अन्य सभी पाठ्यक्रमों के छात्रों के साथ प्रांरभ करते हैं। इस सामान्य पाठ्यक्रम का उद्देश्य है फ़िल्म निर्माण की मूलभूत बातों को समझना है। दूसरे सत्र के अंत में एक रगमंचीय प्रदर्शन होगा। तीसरा सेमेस्टर स्क्रीन अभिनय को गहराई से समझने पर केंद्रित होगा। यह प्रक्रिया चौथे सेमेस्टर तक चलेगी और इसके अतिरिक्त थियेटर एवं फ़िल्म जगत की सुप्रसिद्ध हस्तियाँ, जो अतिथि व्याख्याता के रूप में आते हैं और मास्टर क्लासएँ संचालित करते हैं।

स्क्रीन अभिनय विभाग के पास दो विशाल क्लास रूमों के साथ अपना एक इमारत है। एक क्लास रूमों के नाम स्वर्गीय सुप्रसिद्ध अभिनेता टॉम अल्टर और ओमपुरी रखा गया है। पुराना अभिनय क्लास रूम प्रभात स्टूडियो की विरासत है जिसे अब पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, उसका नाम रोशन तनेजा रखा गया है।

पाठ्यक्रम अवधिः

2 वर्षों को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है।

स्थानों की कुल संख्याः

11 (ग्यारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

बेंजामिन गिलानी , माननीय सिध्दार्थ शास्ता , प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष जिजॉय पी.आर., सहयोगी प्राध्यापक संजय मोरे. सहायक प्राध्यापक

पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़)

इसका उद्देश्य सिनेमाई लेखन के सभी रूपों के साथ अच्छी तरह से परिचित पटकथा लेखकों का निर्माण करने के उद्देश्य से , पाठ्यक्रम एक छः-आयामी दृष्टिकोण को नियोजित करता है जिसमें सैद्धांतिक अध्ययन के साथ-साथ व्यापक लेखन , पढ़ना, फ़िल्म विश्लेषण, प्रतिक्रिया और लेखन अभ्यास शामिल हैं। दो वर्षों के दौरान , छात्र एक लघु फ़िल्म , एक टीवी वीबल, एक फ़ीचर फ़िल्म स्क्रीनप्ले (कथात्मक), एक फ़ीचर फ़िल्म की बाहरी रूप रेखा (स्टेप आउटलाइन) (कथात्मक), एक फ़ीचर ट्रीटमेंट (रूपान्तरण / बायोपिक / वास्तविकता आधारित कथा) व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं; एक सिम्युलेटेड राइटर्स रूम में एक वेब सीरीज़ ब्रॉड स्टोरी और डिप्लोमा फ़िल्म के साथ अन्य कई अन्य लेखन अभ्यास डिप्लोमा फ़िल्म के लिए।

विभिन्न ड्राफ़्टों पर आंतरिक संकाय के साथ-साथ अतिथि सलाहकारों से विस्तृत , चरण-दर-चरण प्रतिक्रिया छात्रों को उनके लेखन को परिष्कृत करने और शिल्प की एक सूक्ष्म लेकिन व्यवहारिक समझ विकसित करने में मदद करती है। डिजिटल फ़िल्म निर्माण प्रक्रिया में व्यावहारिक अनुभव , फ़िल्म इतिहास और फ़िल्म प्रशंसा का परिचय , संबद्ध विषयों पर कार्यशालाएँ (जैसे पौराणिक कथाओं, मनोविज्ञान, लोककथाओं आदि), और प्रसिद्ध शिक्षाविदों और उद्योग के व्यवसायिकों के साथ सिनेमाई बातचीत उनके कथा-कथन की समझ को और समृद्ध करती है और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करती है।

संस्थान के विशाल संग्रह के अतिरिक्त, विभाग में पटकथा लेखन से संबंधित पुस्तकों और 300 से अधिक डीवीडी से युक्त अपना एक पुस्तकालय है। प्रत्येक छात्र को सभी आवश्यक सॉफ़्टवेयरों से सुसज्जित एक समर्पित वर्कस्टेशन प्रदान किया जाता है।

पाठ्यक्रम अवधिः

2 वर्षों को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है। केतकी पंडित

स्थानों की कुल संख्याः उत्थान भारीघाट

13 (तेरह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

, माननीय विभागाध्यक्ष , सहायक प्राध्यापक

फ़िल्म स्कंध के स्नातकोत्तर पदविका पाठ्क्रमों में स्थानों की संख्या

विशेषज्ञता का नाम	कुल स्थान	सामान्य	अपिव	अनु.जाति	अनु.जनजाति
निर्देशन तथा पटकथा लेखन	11	5	3	1	1
चलचित्रांकन	11	<i>5</i> डी	3	1	1
संपादन	11	5	3	1	1
ध्वनिमुद्रण और ध्वनि संरचना	11	5ए	3	1	1
कला निर्देशन तथा निर्माण संरचना	11	5	3	1	1
अभिनय	11	5बी	3	1	1
पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब	13	6	3	2	1
सीरीज़)					

डी : बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार के लिए एक स्थान आरक्षित है : **ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।**

ए : बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार के लिए एक स्थान आरक्षित है : दृष्टिहीनता और कम दृष्टि।

बी : बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार के लिए एक स्थान आरक्षित है : बिधर और सुनने में कठिनाई।

फ़िल्म में स्नातकोत्तर पदविका पाठ्यक्रम के लिए पात्रता

पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता के मानदण्ड
निर्देशन तथा पटकथा लेखन	
चलचित्रांकन	
संपादन	
ध्वनिमुद्रण तथा ध्वनि संरचना	किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी
स्क्रीन अभिनय	
पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़)	
कला निर्देशन तथा निर्माण संरचना	अप्लाइड आर्टस, आर्किटेक्चर, पेंटिग स्कल्पर, इन्टिरियर
	डिज़ाइन में अथवा फाइन आर्टस से संबंधित क्षेत्र में स्नातक
	की पदवी अथवा उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक में समतुल्य
	पदविका।

फ़िल्म स्कंध के सभी स्नातकोत्तर पदविका पाठ्यक्रम के लिए चयन के मानदंड (स्क्रीन अभिनय को छोड़कर)

चरण 1

भाफ़िटेसं में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 में उपस्थित होना होगा।

चरण 2

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अभिविन्यास और साक्षात्कार के लिए आगे की प्रक्रिया में उपस्थित होना होगा। (अभिविन्यास और साक्षात्कार के लिए आगे की चयन की के श्रेणीवार अनुपात की जानकारी पृष्ठ सं 65 में उल्लेख की गयी हैं।)

* अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा (जेईटी), अभिविन्यास एवं साक्षात्कार, जो कि प्रत्येक स्तर पर क्रमशः 20%, 50% (20% प्रैक्टिकल + 30% लिखित) और 30% के महत्व के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो कि चिकित्सा टेस्ट में उत्तीर्ण होने का विषय होगा।

स्क्रीन अभिनय में स्नातकोत्तर पदविका पाठ्यक्रम के लिए चयन के मानदंड

चरण 1

भाफ़िटेसं में स्क्रीन अभिनय में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 में उपस्थित होना होगा।

चरण 2

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को चयन के लिए चरण 2 के रूप में ऑडिशन देना होगा। (ऑडिशन के लिए चयन का श्रेणीवार अनुपात पृष्ठ 66 में उल्लिखित है।)

चरण 3

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 (चरण-1) और ऑडिशन (चरण-2) के कार्य निष्पादन के आधार पर, "परिणाम 1" के अनुसार प्रत्येक चरण में 50% अंकों के साथ परिणाम 1 तैयार किया जायेगा।

उत्तीर्ण उम्मीदवारों (परिणाम 1 के अनुसार) को अभिविन्यास और साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा, जैसा कि श्रेणीवार अनुपात पृष्ठ 66 में उल्लेख है।

परिणाम 2 अभिविन्यास और साक्षात्कार के आधार पर तैयार किया जायेगा।

परिणाम 1 और परिणाम 2, प्रत्येक चरण में 50 % अंकों के साथ चिकित्सा जाँच की उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

टेलीविज़न स्कंध में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

टेलीविज़न स्कंध में विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम:

1. निर्देशन

- 3 विडियो संपादन
- 2. इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन 4. ध्विन मुद्रण और टेलीविज़न अभियांत्रिकी

पाठ्यचर्या का अवलोकन

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों में टेलीविज़न माध्यम की समझ को विकासित करना, इसका निर्माण (टेकनीक) तकनीक के अतिरिक्त टीवी उपकरणों के प्रयोग का कौशल प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में सामूहिक भावना, जो उनके व्यावसायिक कैरियर के लिए आवश्यक है।

संरचना:

इस पाठ्यक्रम को तीन चरणों में संचालित किया जाता है

प्रथम चरण:

प्रथम चरण सभी विशेषज्ञता के छात्रों के लिए सामान्य है, जिसका उद्देश्य है, छात्रों में दृक-श्रव्य (ऑडियो-विज़्अल) कार्यक्रमों को बनाने की मूल अवधारणाओं का सूत्रपात करना तथा उन्हें एकल-कैमरा एवं बहु-कैमरा निर्माण तकनीकों से परिचित कराना है।

द्वितीय चरण:

द्वितीय चरण विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के कौशल विकास पर बल देता है। छात्र कार्यक्रमों के विभिन्न प्रारूपों की निर्माण तकनीकों से परिचित होने तथा समन्वित अभ्यासों को करने के लिए संस्थान के संकाय सदस्यों एवं टेलीविज़न व्यावसायिकों द्वारा संचालित कार्यशालाओं में सहभागी होते हैं।

ततीय चरण:

अंतिम चरण में, छात्र पाठ्यक्रम के अंत में अभ्यास को करने के लिए पूर्णवर्त्ती चरणों में अपनी समझ के माध्यम एवं कौशल विकासित का उपयोग करते हैं। छात्र संस्थान के अनुभवी अध्यापकों एवं इस उद्योग जगत के व्यावसायिकों से कक्षा सत्रों, कार्यशालाओं, प्रायोगिकी, अभ्यासों के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरणों पर सैद्धांतिक ज्ञान एवं विस्तारपूर्वक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

निर्देशन

इस पाठ्यक्रम की संरचना टेलीविज़न तथा दृश्य-श्रव्य उद्योग (इंडस्ट्री) की बढ़ती हुई वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गयी है। टीवी निर्माण के लिए आवश्यक कहानी को प्रभावी रूप में बताने में दृढ़ समय के साथ अभिनव विचारों की पैकेजिंग तथा संसाधन योजना में निहित होती है। छात्रों को एक वर्ष के सघन (गहन) पाठ्यक्रम के कार्यकलापों में कल्पित कथाओं एवं डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रमों के साथ-साथ मल्टी - कैमरा स्टूडियो निर्माण में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

यहाँ सलाहकार के रूप में इंडस्ट्री के अतिथि संकाय के रूप में व्यवसायिकों के साथ संस्थान के अनुभवी के रूप में मेन्टोर्स, संकाय सदस्यों के साथ छात्र इण्डस्ट्री व्यवसायिक बनने के लिए तैयार होते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधिः

1 वर्ष

कुल स्थानः

11 (गयारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

मिलिंद दामले, सहायक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष एम. डी. नेगी, प्राध्यापक

इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन

एक वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन पाठ्यक्रम दृश्यात्मक कथाकार (विजुअल स्टोरीटेलर) की भावी पीढ़ी के लिए व्यावसायिक चलचित्रांकन में अपना करियर बनाने के अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम की संरचना मोशन पिक्चर की कला और विज्ञान से संबंधित तकनीकी और कलात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गयी है। एक संरचित शिक्षाशास्त्र के माध्यम से, छात्रों को धीरेधीरे इस विशेष शिल्प के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाता है।

मीडिया में लगातार बदलती डिज़िटल तकनीकियों के साथ, व्यावसायिकों के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होते जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण में, पाठ्यक्रम अत्याधुनिक उपकरणों और समग्र बुनियादी ढाँचे को पूरा करते हुए दृश्यात्मक कथा- कथन (विज़ुअल स्टोरी टेलिंग) के सौंदर्योत्मक के विविध पैलेट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

संस्थान में मुख्य रूप से स्टैंडर्ड डेफ़िनिशन और हाई डेफ़िनिशन मल्टी-कैमरा टेलीविज़न स्टूडियो, यूएचडी / 4 के हाई एण्ड डिजिटल कैमरे, परिष्कृत ऑप्टिक्स, विभिन्न प्रकार के प्रकाश उपकरण और गियर शामिल हैं। हाल में शामिल किए गए पोस्ट डिजिटल कलर-ग्रेडिंग और कलर-करेक्शन सूट कार्य प्रवाह को दृश्य उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बना रहे हैं।

पाठ्यक्रम की अवधिः

1 वर्ष

कुल स्थानः

11 (गयारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

लित तिवारी, सहयोगी प्राध्यापक के.जगदीशवरन्, सहायक प्राध्यापक

विडियो संपादन

विडियो संपादन पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनकी कला-शिल्प की गहन समझ के साथ सृजनात्मक एवं कुशल व्यवसायिक बनने के लिए तैयार करना है। छात्र टेलीविज़न निर्माण के अन्य पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करते हुए टेलीविज़न कथा एवं गैर-कथा में लयात्मक अभिव्यक्ति करते हैं।

पाठ्यक्रम के प्रत्येक चरण में प्रगतिशील शिक्षण पर बल दिया जाता है, जिससे टेलीविज़न के लिए सम्पादन में मज़बूत आधार तैयार होता है। कक्षा में सैद्धांतिक व्याख्यान, नॉन-लीनियर संपादन सॉफ़्टवेयर पर विस्तृत अभ्यास के साथ उद्योग जगत के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं एवं समन्वित अभ्यासों के माध्यम से छात्र अपने कौशल को निखारते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधिः

1 वर्ष

कुल स्थानः

11 (गयारह)

पात्रता के मानदण्ड:

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके उसके समकक्ष

संकाय सदस्य

सुश्री सुचित्रा साठे, सहायक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष सुमित कुमार , सहायक प्राध्यापक

ध्वनि मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

ध्विन मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी का पाठ्यक्रम छात्रों को ध्विन के विभिन्न तकनीकी एवं रुचिकर पहलुओं को प्रदर्शित कर उन्हें प्रभावी ध्विन स्केप बनाने में सक्षम बनाता है। टेलीविज़न अभियांत्रिकी वर्तमान टेलीविज़न टेकनालॉजी से संबंधित है, जो तकनीकी मुद्दों की उत्तम समझ प्रदान करता है। यह छात्रों में परिचालन तकनीकों और रचनात्मक क्षमताओं का एक कॉम्पैक्ट संयोजन है। टीवी साउंड डिपार्टमेंट डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, डिजिटल कंसोल, डिजिटल रिकॉर्डर, प्रोफ़ेशनल बूम और वायरलेस माइक्रोफ़ोन आदि से लैस है।

तकनीकी मुद्दों को अच्छी तरह से समझने के लिए वर्तमान समय की टेलीविज़न टेकनॉलॉजी से संबंधित टेलीविज़न इंजीनियरिंग इनपुट भी प्रदान किया जाता है। यहाँ दो टीवी स्टूडियो हैं - पी कुमार वासुदेव एचडी स्टूडियो (60 फीट x 40 फीट x 22 फीट) और वी जे मुले एसडी स्टूडियो (50 फीट x 40 फीट x 22 फीट)। दोनों स्टूडियो मोटराइज्ड लाइटिंग सिस्टम, 16 चैनल ऑडियो कंसोल / मिक्सर, डिजिटल वीडियो स्विचर, बहुभाषी कैरेक्टर जेनरेटर, कंप्यूटर संचालित टेली-प्रमोट र्स, डिजिटल वीटीआरएस इत्यादि से लैस हैं । तकनीकी रूप से अ द्यतन किए गए टीवी स्टूडियो छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने और मूल्यांकन प्रणालियों को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त उल्लिखित ध्विन और टीवी अभियांत्रिकी उपकरणों एवं स्टूडियों में कार्य करना छात्रों को व्यवसायिक कार्यों को करने में आत्मविश्वास प्रदान करता है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा इस क्षेत्र में प्रचलित वर्तमान तकनीकियों और पद्धित को समझने में मदद करती है।

पाठ्यक्रम की अवधि:
1 वर्ष

ध्विन :कुल स्थान:
वैभव घम, सहयोगी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष

आइजॅक न्यूटन , सहायक प्राध्यापक

रीवी अभियांत्रिकी

पात्रता के मानदण्ड :

संतीप शहारे, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष

टेलीविज़न स्कंध के स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या -

विशेषज्ञता का नाम	कुल स्थान	सामान्य	अ.पि.वि	अनु.जाति	अनु.जनजाति	सामान्य - आर्थिक
						रूप से कमज़ोर वर्ग
निर्देशन	11	5 ई	3	1	1	1
इलेक्ट्रॉनिक्स चलचित्रांकन	11	5	3	1	1	1
विडियो सम्पादन	11	5 एफ़	3	1	1	1
ध्वनिमुद्रण तथा टेलीविज़न अभियांत्रिकी	11	5	3	1	1	1

ई : बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक स्थान आरक्षित	बधिर - दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) कारणों के
है : -	अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहुल दिव्यांगता।
एफ़ : बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक स्थान	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में
आरक्षित है : -	उल्लेख अन्य " विशेष दिव्यांगता " **।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लेख अन्य "विशेष दिव्यांगता"।

** जीर्ण तांत्रिक संबंधी रोग (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां), मल्टीपल स्केलेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफ़ीलिया, सिकल सेल रोग, पार्किनसन रोग, बोलने और भाषा की दिव्यांगता।

टेलीविज़न स्कंध में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पात्रता के मानदण्ड :

विशेषज्ञता का नाम	पात्रता के मानदण्ड
निर्देशन	
इलेक्ट्रॉनिक्स चलचित्रांकन	
विडियो सम्पादन	किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष
ध्वनिमुद्रण तथा टेलीविज़न	
अभियांत्रिकी	

टेलीविज़न में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए चयन के मानदण्ड

चरण 1

भाफ़िटेसं में टेलीविज़न स्कंध में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 में उपस्थित होना होगा।

चरण 2

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अभिविन्यास और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। (अभिविन्यास और साक्षात्कार के लिए आगे की चयन प्रक्रिया के श्रेणीवार अनुपात की जानकारी विवरण पृष्ठ सं 65 में उल्लेख की गयी है।)

* अंतिम मेरिट लिस्ट संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021का 20%, अभिविन्यास का 50% और साक्षात्कार का 30% के महत्व के आधार पर तैयार किया जाएगा, चिकित्सा परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

प्रवेश वर्ष 2021 - 2022 के लिए फ़ीस संरचना

फ़िल्म स्कंध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : ट्यूशन फ़ीस ,छात्रवास किराया तथा अन्य प्रभार :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम		सत्र - 1		सत्र - 2				
		ट्यूशन फ़ीस (रु.)	छात्रवास का किराया, जमा और अन्य प्रभार (रु.)	कुल फ़ीस (रु.)	ट्यूशन फ़ीस (रु.)	छात्रवास का किराया, जमा और अन्य प्रभार (रु.)	कुल फ़ीस (रु.)	1 और 2 सत्रों की कुल फ़ीस (रु.)	
1	फ़िल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पदविका {निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता}	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	
2	फ़िल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पदविका { चलचित्रांकन में विशेषज्ञता}	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	
3	फ़िल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पदविका { संपादन में विशेषज्ञता}	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	
4	फ़िल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पदिवका {ध्वनिमुद्रण तथाध्विन संरचना में विशेषज्ञता}	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	
5	फ़िल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पदिवका { कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता}	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	
6	फ़िल्म में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पदविका { स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता}	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	
7	पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पदविका	37137	37935	75072	37137	11719	48856	123928	

प्रवेश वर्ष 2021 - 2022 के लिए फ़ीस संरचना

फ़िल्म स्कंध पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभूति और अन्य प्रभार का क्रमानुसार विवरण

क्र. सं.	विवरण	सत्र 1 फ़ीस(रु.)	3	सत्र 2 फ़ीर	स (रु.)
1.	प्रवेश फ़ीस	153	प्रत्येक सत्र	153	प्रत्येक सत्र
2.	खेलकूद फ़ीस	153	प्रत्येक सत्र	153	प्रत्येक सत्र
3.	चिकित्सा फ़ीस	193	प्रत्येक सत्र	192	प्रत्येक सत्र
4.	लायब्रेरी फ़ीस	153	प्रत्येक सत्र	153	प्रत्येक सत्र
5.	इंटरनेट प्रभार	385	प्रत्येक सत्र	384	प्रत्येक सत्र
6.	पुस्तकालय जमा	3843	एक बार	0	लागू नहीं
7.	प्रतिभूति जमा	15373	एक बार	0	लागू नहीं
8.	छात्रवास प्रवेश	153	प्रत्येक सत्र	153	प्रत्येक सत्र
9.	छात्रवास अध्ययन कक्ष	153	प्रत्येक सत्र	153	प्रत्येक सत्र
10.	छात्र हस्तपुस्तिका	78	एक बार	0	लागू नहीं
11.	छात्रवास किराया	9224	प्रत्येक सत्र	9224	प्रत्येक सत्र
12.	बिजली तथा पानी प्रभार	1154	प्रत्येक सत्र	1152	प्रत्येक सत्र
13.	छात्रवास प्रतिभूति	3844	एक बार	0	लागू नहीं
14.	भोजनालय प्रतिभूति	3074	एक बार	0	लागू नहीं
	कुल	37935		11719	

प्रवेश वर्ष 2021 - 2022 के लिए फ़ीस संरचना

टीवी स्कंध पाठ्यक्रम फ़ीस

टीवी स्कंध स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : ट्यूशन फ़ीस, छात्रवास किराया तथा अन्य प्रभार -

:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ट्यूशन फ़ीस (रु.)	छात्रवास का किराया, जमा और अन्य प्रभार (रु.)	कुल फ़ीस (रु.)
1	टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र (निर्देशन में विशेषज्ञता)	74275	49653	123928
2	टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र (इलेक्ट्रॉनिक्स चलचित्रांकन में विशेषज्ञता)	74275	49653	123928
3	टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र (विडियो सम्पादन में विशेषज्ञता)	74275	49653	123928
4	टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र (ध्विनमुद्रण तथा टी.वी. अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता)	74275	49653	123928

प्रवेश वर्ष 2021 - 2022 के लिए फ़ीस संरचना

टेलीविज़न स्कंध पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभूति और अन्य प्रभार का क्रमानुसार विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रत्येक सत्र फ़ीस (रु.)
1.	प्रवेश फ़ीस	307
2.	खेलकूद फ़ीस	307
3.	चिकित्सा फ़ीस	385
4.	लायब्रेरी फ़ीस	307
5.	इंटरनेट प्रभार	769
6.	पुस्तकालय जमा	3843
7.	प्रतिभूति जमा	15373
8.	छात्रवास प्रवेश	307
9.	छात्रवास अध्ययन कक्ष	307
10.	छात्र हस्तपुस्तिका	78
11.	छात्रवास किराया	18449
12.	बिजली तथा पानी प्रभार	2306
13.	छात्रवास प्रतिभूति	3844
14.	भोजनालय प्रतिभूति	3074
	कुल	49653

प्रवेश वर्ष 2021 - 2022 के लिए फ़ीस संरचना

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को फ़्रीशिप

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित सभी पात्र छात्रों के लिए केवल ट्यूशन फीस और छात्रावास का किराये के संबंध में कुल राशि का 30% फ़्रीशिप उपलब्ध है। अपने प्रवेश की पृष्टि प्राप्त करने के बाद, छात्रों को सभी संबंधित और सहायक दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा।

फ्रीशिप का पुरस्कार स्वचालित रूप से नवीनीकृत नहीं है और पाठ्यक्रम के प्रत्येक निरंतर सेमेस्टर / वर्ष के लिए सभी विवरणों और संबंधित दस्तावेज़ो के साथ एक नया आवेदन करना होगा।

बाद के सेमेस्टर / वर्ष में फ़्रीशिप का पुरस्कार संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति के लिए लागू मानदंडों, उपस्थिति, अनुशासन आदि के अतिरिक्त संतोषजनक शैक्षिक प्रगति की पूर्ति के अधीन है।

स्क्रीन स्टडीज और रिसर्च :

यह विभाग फ़िल्म इतिहास और फ़िल्म रसास्वादन की कक्षाओं संचालन के द्वारा पदिवका पाठ्यक्रमों में विशेष योगदान देता है। यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अत्याधुनिक सिनेमा के साथ - साथ दुर्लभ और पुरानी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग के लिए भी ज़िम्मेदार है। यह विभाग राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे के साथ साँझेदारी में फ़िल्म उत्साहियों के लिए प्रत्येक ग्रीष्मकाल में बहुत लोकप्रिय फ़िल्म रसास्वादन पाठ्यक्रम का संचालन करता है।

संकाय

इन्द्रनील भट्टाचार्य , प्राध्यापक, स्क्रीन स्टडीज और रिसर्च

निर्माण

निर्माण अनुभाग भाफ़िटेसं के सभी प्रशासनिक तथा अकादिमक प्रयासों के संचालन के पश्चात आगे की प्रक्रिया की देखभाल करता है। अकादिमक गतिविधियों के समन्वय सहित प्रैक्टिल क्लासेस, कार्यशालाओं, अभ्यासों और प्रॉजेक्टों सहित अकादिमक गतिविधियों में समन्वय करना, आदि निर्माण अनुभाग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ में से एक हैं।

संकाय

सुरजीत धर, सहयोगी प्राध्यापक, फ़िल्म निर्माण

टीवी ग्राफ़िक्स और एनिमेशन विभाग

टीवी ग्राफ़िक्स और एनिमेशन विभाग पारम्पारिक एनिमेशन के लिए नवीनतम श्रेणी के 2 डी और 3 डी एनिमेशन के अद्यतन सॉफ्टवेयर, एक प्रयोगशाला के साथ - साथ लाइट बॉक्सों सहित एक स्टूडियो से सुसज्जित है। यह विभाग दोनों स्कंध के लिए शैक्षिणक गतिविधियाँ में अपना योगदान देता है।

संकाय

मंदार डिग्रजकर, सहयोगी प्राध्यापक टीवी ग्राफ़िक्स सैय्यद तनवीर ताहिर, सहायक प्राध्यापक टीवी ग्राफ़िक्स

अकादिमक कार्यालय :

अकादिमक कार्यालय भाफ़िटेसं के सभी छात्रों हेतु उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए एक संपर्क कक्ष है। यह कार्यालय परिणाम-पत्र, मार्कशीट, बोनफाइड प्रमाणपत्र, छात्र परिचय पत्र, छात्रवृत्ति का संवितरण आदि को जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

मंदार डिग्रजकर, शैक्षणिक समन्वयक सह परीक्षा नियंत्रणक

मल्टीमीडिया और कम्प्यूटर:

मल्टीमीडिया और कम्प्यूटर विभा ग संस्थान के विभिन्न शैक्षिक और प्रशासनिक अनुभाग के कम्प्यूटर, आईटी, इंटरनेट, वाई - फ़ाई और मल्टीमीडिया से संबंधित जरुरतों को पूरा करता है। विभाग संस्थान की वेबसाइट और आंतरिक नेटवर्क (एनकेएन) का प्रबंधन भी करता है। भाफ़िटेसं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का सदस्य है और इसके पास 1 जीबीपीएस इंटरनेट लीज़्ड लाइन है। संस्थान का डाटा सेन्टर, डाटा प्रबंधन, सुरक्षा और वैक अप के लिए अनुप्रयोगों के साथ अत्याधुनिक सर्वर्स और मेल सार्विसिज़ से सुसज्जित है। निजी क्लाऊड का प्रयोग छात्रों के प्रोजेक्टों के डाटा स्टोर (एकत्रित करना) करने के लिए किया जा रहा है।

संदीप शहारे, प्रभारी, मल्टीमीडिया और कम्प्यूटर

टीवी निर्माण

टीवी निर्माण विभाग एक वर्षीय टेलीविज़न पाठ्यक्रम का समन्वय करता है और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संचालन में सहायता प्रदान करता है। विभाग टेलीविज़न पाठ्यक्रम का समन्वय करता है जिसमें सामान्य मॉड्यूल, प्रयोगत्माक सत्र, कार्यशालाएँ और समन्वित अभ्यास सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग विभिन्न लघु पाठ्यक्रमों के समन्वय में भी सिक्रय रूप से कार्यरत है।

श्री अश्विन सोनोने, सहयोगी प्राध्यापक, टीवी निर्माण प्रबंधन

सेंटर फॉर ओपेन लर्निंग (सी.एफ़.ओ.एल)

गुणवत्तापूर्ण सिनेमा साक्षरता, जो कि सस्ती और सुलभ हो प्रदान करने के उद्देश्य के साथ, सन् 2017 में, स्किफ़्ट (फ़िल्म और टेलीविजन में स्किलिंग इंडिया) की परिकल्पना की। स्किफ़्ट के अन्तर्गत, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सहयोग से पूरे देश में मूलभूत और प्रारम्भिक के स्तर के विभिन्न लघु पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। साथ ही, उन लेखकों को शिक्षा और संवर्धन प्रदान करने के लिए जो प्रशिक्षण पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण वे ऐसे नही कर पाते हैं, उनके लिए भाफ़िटेसं के पूर्णकालिक आवासीय पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने हेतु विजय तेंदुलकर राइटर्स अकादमी (वीटीडब्ल्यूए) की स्थापना फरवरी, 2020 में भाफ़िटेसं के विस्तारित परिसर में की गई थी, जहां लेखन और अन्य लघु पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, मई 2020 में, कोविड 19 के बाद, भाफ़िटेसं ने अपनी FTH_Online पहल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा में प्रवेश किया और वर्तमान में विभिन्न ऑनलाइन लघु पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें भारत और विदेशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के शिक्षण और प्रशिक्षण (अटल) पहल के अन्तर्गत, भाफ़िटेसं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित संकाय सदस्यों, शोध विद्वानों, स्नातकोत्तर छात्रों, सीबीएसई शिक्षकों और उद्योग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न संकाय विकास कार्यक्रम (एफ़डीपी) आयोजित कर रहा है।

इन सभी आउटरीच गतिविधियों को अब सेंटर फॉर ओपन लर्निंग (सीएफ़ओएल) के अन्तर्गत एकीकृत किया गया है।

संदीप शहारे, कार्यकारी प्रमुख, सी.एफ.ओ.एल

रेडियो एफ़टीआयआय:

रेडियो एफ़टीआयआय एक कम्यूनिटी (सामुदायिक) रेडियो स्टेशन है, जो भाफ़िटेसं के स्वामित्व में है और समाज के छोटे से छोटे समूह के लोगों को आवाज प्रदान करने के उद्देश्य के साथ भाफ़िटेसं द्वारा चलाया जाता है। यह विभिन्न विषयों पर सूचनात्मक और शिक्षात्माक शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। सिनेमा उत्साही श्रोतागण, विख्यात फ़िल्म निर्माताओं और पूर्व छात्र जो कैम्पस के अपने अनुभवों को बाँटते है, उन के साक्षात्कार, व्याख्यान और वैचारिक आदान-प्रदान जैसे सिनेमा पर आधारित कार्यक्रम सुन सकते हैं।

पुस्तकें, फ़िल्म और विडियो लायब्रेरी:

भाफ़िटेसं पुस्तकालय में कुल 31000 (लगभग) संसाधनों का संग्रह है, जिसमें सिनेमा और संबंधित विषयों जैसे भारतीय सिनेमा, निर्देशन, चलचित्रांकन, ध्विन मुद्रण, अभिनय, पटकथा लेखन, नाटक, दृश्य कला, पेंटिंग आदि विभिन्न विषय क्षेत्रों के पुस्तक सिम्मिलत हैं। पुस्तकालय भारत और विदेशों के कई मीडिया संबंधी पत्र- पित्रकाओं की भी सदस्यता रखता है। संस्थान के पास फ़िल्मों और वीडियो का एक बड़ा संग्रह है और राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, जो भाफ़िटेसं पिरसर के पास ही है, में फ़िल्मों का अच्छा संग्रह है।

परिसर में सुविधाएँ

आवास प्रबंध :

सभी छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। आबंटन के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

भोजनालय प्रबंधन :

छात्र लागत साझा के आधार पर मेस का संचालन करते हैं।

छात्रवृत्ति:

छात्रवृत्ति पुरस्कार निर्धारित नियमों द्वारा संचालित किये जाते हैं। भाफ़िटेसं, सभी स्नातकोत्तर पदिवका और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति याँ प्रदान करता है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी उन राज्यों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ftiindia.com पर जाएँ। इसके अतिरिक्त, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों के लिए भी कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने भी छात्रवृत्ति / पुरस्कार की स्थापना की है।

शैक्षणिक स्क्रीनिंग:

संस्थान में हर रोज की स्क्रीनिंग छात्र जीवन का अद्भुत भाग है । हर रोज शाम सोमवार से शुक्रवार तक संस्थान के मेन थिएटर या राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय के ऑडिटोरियम में विभिन्न कलात्मक और समकालीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों को दिखाने की बरसों की परंपरा है।

खेलकूद की सुविधाएँ:

भाफ़िटेसं में फ़ुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए एक विस्तृत मैदान और बॉस्केट बॉल के लिए स्वतंत्र कोर्ट है। प्रत्येक वर्ष छात्र और भाफ़िटेसं के पूर्व छात्रों के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने की एक लम्बी परम्परा है।

प्रभात म्यूज़ियम:

प्रभात म्यूज़ियम की स्थापना प्रभात फ़िल्म कम्पनी की वे सभी कलाकृतियों,मूल अनुबंध, साझेदारी विलेखों सिहत पोशाकों, सामग्रियों, उपकरणों, पोस्टरों और ऐसे छात्राचित्रों, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, का संवर्धन करना तथा प्रदर्शन करने के लिए की गयी है। हाल ही में म्यूज़ियम का पुनर्निमाण किया गया है। म्यूज़ियम हर रोज आम जनता के लिए खुला रहता है। वैंक तथा डाक कार्यालय:

परिसर में डाक घर स्थित है।

आरक्षण नीति :

भारत सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्थान आरक्षित हैं।

- अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 15% सीटें आरक्षित है।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 7.5% सीटें आरक्षित है।
- अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी- एन.सी.एल) के नॉन क्रीमीलेयर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 27 % सीटें आरक्षित है।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 10% सीटें आरक्षित है।
- सभी चयनित उम्मीदवारों में से संबंधित श्रेणी अर्थात् अनु.जाति/ अनु. जनजाति/ अ.पि.व/ सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य श्रेणी में से कुल सीटों का 5% सीटें उन व्यक्तियों के लिएजिसकी दिव्यांगता (पी.डब्ल्यू.डी) 40 % सिंहत या उससे अधिक है, के समानांतर आधार पर आरक्षित हैं। इन श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में इस बात को घोषित करें।

आरक्षण नियम :

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़ी जाति से संबंधित (नॉन क्रीमीलेयर) उम्मीदवारों के लिए (अन्य पिछड़ी जाति की केंद्रीय सूची,जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 वेबसाइट पर है, के अनुसार आवश्यक है कि उन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 के पोर्टल पर आवेदकों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय / कागजात के सत्यापन के समय, निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंग्रेजी / हिंदी प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी संलग्न करने होंगे।
- यदि उपर्युक्त प्रमाणपत्र क्षेत्रीय भाषा में है तो ऐसी स्थित में उसी प्रमाणपत्र का हिंदी / अंग्रेजी में अनूदित समतुल्य प्रमाण पत्र की पिल्लिक नोटरी द्वारा नोटराइज्ड प्रित आवेदन पत्र के साथ / सत्यापित कागजात जमा करते समय अवश्य अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर, उम्मीदवार को दावे किये गये आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा।

आरक्षण नीति :

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, विवरणों के अनुसार पिछड़े वर्ग के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय आयोग में दिए गए जाति संतुष्टि और क्रीमीलेयर संबंधी आवश्यक विस्तृत जानकारी अन्य पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है।

अपिव- एन.सी.एल स्थिति के लिए दावा करने वाले उम्मीदवार कृपया नोट करें कि नॉन क्रीमीलेयर स्थिति सहित अ.पि.व.जाति का प्रमाणपत्र (एन.सी.एल.), आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक से पहले, एक वर्ष के अंदर जारी किया गया हो।

दिव्यांगता आरक्षण के लिए दावा करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्ररूप में नवीनतम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, जो कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक से छः महीने के अंदर जारी किया गया हो।

सामान्य - आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के अंदर जारी किया गया हो।

वे प्रमाणपत्र, जो उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे अमान्य होंगे और इसलिए अस्वीकार्य होगें।

सभी चुने हुए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसा एक वचन पत्र / घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उनके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। आगे, यह प्रवेश अस्थाई है और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से शैक्षिक अर्हताओं की स्थित के साथ उसकी जाति / श्रेणी और अथवा दिव्यांगता के (जैसा भी मामला होगा) सत्यापन का विषय है। यदि पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी चरण पर ऐसा पाया गया कि उनके द्वारा दी हुई जानकारी गलत है और अथवा झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं तो संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान उनके प्रवेश को तुरंत रद कर दिया जाएगा और वे उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई दावा भी नहीं कर सकते / सकती। साथ ही उनके द्वारा भरी गई फ़ीस भी जप्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं झूठे प्रमाण पत्रों का निर्माण / प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता / कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी और / अथवा दंडात्मक कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे / होंगी। यदि पदिवका / प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो तो उसे भी तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे उम्मीदवार को भविष्य में होने वाली संस्थान की कोई भी प्रवेश परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा।

दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016) के प्रावधान के अनुसार, बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल सीटों में से पाँच प्रतिशत सीटें समानांतर आधार पर आरक्षित हैं। " बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार " का अर्थ है एक विशिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत (40 %) से कम नहीं होना चाहिए। जहाँ विशिष्ट दिव्यांग होने का स्पष्ट शर्तों में पारिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति के रूप में विशिष्ट दिव्यांगता को पारिभाषित किया गया हो। वहाँ प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विशिष्ट दिव्यांग का उल्लेख किया गया हो। "विशेष्ठ दिव्यांग" का अर्थ है, जो दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आर.पी.डब्ल्यु.डी. एक्ट 2016) के अनुसूची में उल्लेखित है।

दिव्यांगता की श्रेणी -

- क . दृष्टिहीनता तथा कम दृष्टि
- ख. श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई
- ग. प्रमस्तिष्क घात सहित चलन संबंधी दिव्यांगता, अम्ल (एसिड) हमले की पीड़ित, बौनापन, ठीक किया हुआ कुष्ठ और मांसपेशीय दुर्विकास।
- घ. "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर , मानसिक रूग्णता, थैलेसीमिया, हीमोफ़ीलिया, सिकल सेल रोग, पार्किन्सन रोग, वाक और भाषा दिव्यांगता।
- च. श्रवण क्षति दृष्टिहीनता सहित (क) से (ख) कारणों के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहुल दिव्यांगता।
- छ. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लेख अन्य "विशेष दिव्यांगता"। बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार संबंधित के अंतर्गत आरक्षण के लिए योग्य होंगे, जब वे इस संदर्भ में अन्य निर्धारित अर्हताएँ को पूरा करते हैं।

भाफ़िटेसं दृक - श्रव्य माध्यम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, योग्यता हेतु दिव्यांग उम्मीदवार से संबंधित नियम निम्नानुसार हैं।

- (I) बैंचमार्क चलन संबंधी दिव्यांग उम्मीदवार एड और अप्लायंसेस (सहायक किट) के साथ खड़े रहने और दोनों हाथों से काम करने में सक्षम हो।
- (II) **''श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई'', ''श्रवण क्षति दृष्टिहीनता'', ''दृष्टिहीनता'' और ''कम दृष्टि''** के श्रेणी में बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार सभी प्रकार के प्रचालन हेतु एड और अप्लायंसेस (सहायक किट) का प्रयोग करें।
- (III) इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदक के पास दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम , 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016) (2016 का 49) के खंड 58 के उप-खण्ड (2) (क) , अधिसूचना समसंख्यक सां.का.नि. 591 (अ) दिनांक 15 जून , 2017 के 18 (1) के अनुसार प्ररूप V, प्ररूप VI, प्ररूप VII में जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। सां.का.नि. 591 (अ) खंड 57 का उपखंड (i) तथा नियम 17 (क) के अन्तर्गत तैयार किया गया प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ऐसे उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि संस्थान में प्रवेश के समय तथा अभिविन्यास / साक्षात्कार के समय दोनों में दिव्यांगता प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करें।

(IV) दिव्यांग उम्मीदवार का आकलन करने के लिए बोर्ड

निदेशक , भाफ़िटेसं के द्वारा गठित बोर्ड के माध्यम से भाफ़िटेसं विशेष कार्यक्रम / पाठ्यक्रम के अभिविन्यास / साक्षात्कार के लिये चुने गये उम्मीदवार के शरीरिक / मानसिक क्षमता का , उस विशिष्ट कार्यक्रम / पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

एक चिकित्सा अधिकारी / मनोचिकित्स, एक विभागाध्यक्ष / विभाग से संबंधित संकाय सदस्य, अकादिमक कार्यालय के अधिकारी, स्कंध से संबंधित संकायाध्यक्ष और परीक्षा नियत्रंक द्वारा गठित पाँच सदस्यों का बोर्ड होगा।

भाफ़िटेसं, उम्मीदवार की शरीरिक / मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अपने उपकरण / जाँच सामग्री का उपयोग कर सकता है और बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को स्वतंत्र रूप से जाँच की जा सकती है।

सभी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन अनिवार्य है। बोर्ड अपनी प्रक्रिया में सिफ़ारिश करेगा कि वे उम्मीदवार आवेदन किये गये पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु सक्षम है / असक्षम है। ऐसे निर्णय की एक प्रति उस उम्मीदवार को भी लिखित रूप में दी जायेगी। बोर्ड की सिफ़ारिश अंतिम होगी और उसके पश्चात् (आगे) कोई प्रतिवेदन / पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा। भाफ़िटेसं, बोर्ड की सिफ़ारिश के आधार पर किसी विशेष कार्यक्रम / पाठ्यक्रम हेतु उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अयोग्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- (V) बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार को अपने लिए स्वयं लेखक/ लिपिक का प्रबंध करने का एक वैकल्पिक होगा। लेखक/लेखक स्नातक होना चाहिए और उसके पास फ़िल्म, टेलीविज़न या मीडिया में कोई शैक्षणिक योग्यता और/ या व्यवसायिक अनुभव नहीं होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है,जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि वे जिनलेखक/ लेखक की सेवाओं का लाभ उठे रहे हैं, वह अंडर-ग्रेजुएशन, शैक्षणिक योग्यता और व्यवसायिक अनुभव के उपर्युक्त उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- (VI) बैंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार लेखक/ लिपिक की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनटों का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।
- (VII) निम्नलिखित दिव्यांगता से पीड़त उम्मीदवार नीचे दी गयी तालिका के अनुसार संबंधित विशेषज्ञता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

क्र.सं.	विशेषज्ञता का नाम	दिव्यांगता का प्रकार
1.	चलचित्रांकन	दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता
2.	इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन	दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता
3.	ध्वनिमुद्रण और ध्वनि संरचना	सुनने में दुर्बलता (श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई), श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता
4.	ध्वनिमुद्रण और टीवी अभियांत्रिकी	सुनने में दुर्बलता (श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई), श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता
5.	संपादन	दृष्टिहीनता, कम दृष्टि , सुनने में दुर्बलता (श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई), श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता
6.	विडियो संपादन	दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, सुनने में दुर्बलता (श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई), श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता
7.	कला निर्देशन और निर्माण संरचना	दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता

रंग - दृष्टिहीनता / रंग दृष्टिदोष (कलर ब्लाइंड) से पीड़त उम्मीदवार उपर्युक्त तालिका के सामने दर्शायी गयी क्रम.संख्या 01,02,05,06 और 07 विशेषज्ञता में आवेदन करते हेतु योग्य नहीं हैं।

(VIII) बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रश्न पत्र नहीं होगें।

(IX) सामान्य आवश्यकताएँ

मुख्य धारा के पाठ्यक्रम में प्रयोग करने के लिये उम्मीदवारों के पास पर्याप्त सज्ञानात्मक कार्यकलाप और कोई बौद्धिक नुकसान नहीं होना चाहिए। अन्य आवश्कताएँ हैं - शैक्षिक और अथवा संप्रेषण कौशल में अनुकूल कार्यों में हल्की कमी, किन्तु पढ़ाई का वातावरण और सहायक उपकरणों का स्वंत्रत रूप से प्रयोग कर पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता हो। बड़े समूह के साथ पढ़ने के लिये अनुकूल अच्छा अदान-प्रदान कौशल और भावनात्माक स्थिरता हो तथा ऐसा चुनौतीपूर्ण व्यवहार न हो, जिससे अन्य छात्रों की पढ़ाई में बाधा आये।

सूचना , नियम और अनुदेश

चिकित्सा जाँच

जिन योग्य उम्मीदवारों को अभिवन्यास और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, उन्हें चयन के मापदंडो में उल्लेख की गयी चिकित्सा जाँच करवाना आवश्यक है। चिकित्सा जाँच की नई प्रक्रिया के बारे में योग्य उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर सूचित किया जाएगा।

चिकित्सा जाँच के परिणाम के आधार पर उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची में से उनके नाम रद्द किये जा सकते हैं। इस संबंध में भाफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारक होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र :

क - भा.सां.सं.प. - आई.सी.सी.आर. (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्) प्रयोजित उम्मीदवार :

टेलीविज़न स्कंध के सभी एक वर्षीय स्नातकोत्तर पदिवका प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्तियों के धारक, ऐसे विदेशी छात्रों के लिए एक-एक स्थान आरक्षित है, जिन्हें सांस्कृतिक संबंधों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (भा.सां.सं.प.) के द्वारा प्रायोजित किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (भा.सां.सं.प.) के द्वारा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित देशों के केवल भारतीय दूतवासों से ही संपर्क करें। उम्मीदवार अपने अंग्रेजी के ज्ञान से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

ख- स्वयं प्रयोजित अन्तर्राष्ट्रीय उम्मीदवार (विदेशी नागरिक):

टेलीविज़न में सभी एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में (संख्या से अधिक आधार पर) स्वयं प्रयोजिक अन्तर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक स्थान आरक्षित है।

सूचना, नियम और अनुदेश

स्नातक पदवी की अंतिम परीक्षा देने वाले उम्मीदवार:

स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले और परिणामों की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, यह ध्यान में रखा जाये कि ऐसे उम्मीदवार को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमित केवल तभी दी जाएगी, जब वे अपने विश्वविद्यालय / संस्थान के परीक्षा नियंत्रक, प्रिंसिपल / कुलसचिव (रजिस्ट्रार) अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय / संस्थान के समतुल्य सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र, जिसमें कहा गया हों कि उम्मीदवार शैक्षिणक वर्ष 2021-2022 की अपनी स्नातक परीक्षा में उपस्थित हुए है और उनकी परीक्षा के आधार पर वे स्नातक है।

अनुशासन:

छात्रों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले आचरण की संहिता तथा अन्य नियमों एवं विनियमों की रुपरेखा की छात्रपुस्तिका प्रत्येक छात्र को प्रवेश के समय दी जायेगी। छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे अनुशासन का पालन करें, ऐसा न होने पर अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार भाफ़िटेसं सुरक्षित रखता है। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारक होगा।

सूचना , नियम और अनुदेश

सामान्य नियम/ अनुदेश:

- उम्मीदवार विवरणिका और संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की वेबसाइट की विषयवस्तु में छपी हुई योग्यता की शर्तों को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन भरने से पहले पाठ्यक्रम के लिए अपनी योग्यता के सम्बन्ध में वे स्वयं संतुष्ट हो। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने उसे पूर्ण रूप से समझा है और स्वीकार किया है।
- 2. स्नातक पदवी, जो भारतीय विश्वविद्यालय / विदेशी विश्वविद्यालय / राज्य विश्वविद्यालय / प्राइवेट विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष के माध्यम से प्राप्त की है, वह उसकी भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) भारतीय विश्वविद्यालयों संघ के द्वारा मान्यता होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय (उक्त विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम तथा अविध के लिए अवश्य रुप से वैध होना चाहिए) उपर्युक्त मान्यता को अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न होने पर उनकी शैक्षिक अर्हता पर विचार नहीं किया जायेगा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, स्नातक पदवी के उसके समकक्ष पदविका पाठ्यक्रम का दावा करने वाले उम्मीदवार को भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) अथवा सरकारी सक्षम प्राधिकारी से उसकी समकक्षता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार संबंधित उम्मीदवार का होगा।
- 3. मुक्त विश्वविद्यालयों / दूर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त पदवी को दूरस्थ शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मान्य होनी चाहिए।ऐसी डिग्री जो, उस अविध के लिए मान्य होगी, जब उम्मीदवार ने उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त की थी। उन्हें शैक्षिक अर्हता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित उम्मीदवार पर है और उसे वह कागजात के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उम्मीदवार को आगे की प्रवेश प्रक्रिया में सहभागी होने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 4. आवेदन पत्र जब प्रस्तुत करें तो वह संपूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। सभी अपूर्ण फार्मों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 5. उम्मीदवार अधिकतम तीन (3) पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा पृष्ठ 70 से 72 पर उल्लेख किया गया है। किसी भी एक समूह में अनेक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- 6. ऑनलाइन फार्म भरते समय पास पोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ अवश्य अपलोड करें। अतः दिए गए निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार अपने / अपनी हस्ताक्षर अवश्य अपलोड करें। जिसके बिना आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा और आवेदन पत्र को सामान्यतः तौर पर अस्वीकार किया जायेगा।
- 7. यदि कोई संबंधित प्रमाणपत्र हिन्दी/अंग्रेजी में नहीं है तो उसका हिन्दी / अंग्रेजी में अनूदित समतुल्य पिल्लिक नोटरी द्वारा नोटराइज्ड प्रमाणपत्र सत्यापन के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए। इसके बिना उम्मीदवार ऐसे प्रमाणपत्र के विरूद्ध दावे के लाभ नहीं ले सकेंगे।
- 8. उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे शैक्षिक अर्हताओं, आरक्षणों आदि आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें और वे स्वयं संतुष्ट हो जाये कि वे आवेदन करने के योग्य हैं। कागजातों के सत्यापन / छानबीन के समय यदि कोई दावा पर्याप्त नहीं पाया गया तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में भफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधितों पर बाध्यकर होगा।
- 9. भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान में शिक्षण का माध्यम मुख्य रूप से अंग्रेंजी हैं। उम्मीदवार को सही ढंग से हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए।
- 10. उम्मीदवार इस बात को नोट करें कि उम्मीदवार पूरी तरह से अस्थयी है। केवल इसी तथ्य पर कि उन्हें प्रवेशपत्र / हॉल टिकट जारी किया गया है और उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देने की अनुमित प्रदान की गयी है, का तात्पर्य ऐसा नहीं होगा कि भि़फटेसं ने अंतिमतः उन की उम्मीदवारी को स्वीकार किया है।
- 11. स्क्रीन अभिनय पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी पदिवका और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में सामान्य तथा अन्य पिछड़ी जाित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर 1:3 अनुपात के अनुसार और अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर 1:5 अनुपात के अनुसार अभिविन्यास और अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के संबंध में, सामान्य दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), ओबीसी-एनसीएल दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात में सूचीबद्ध किया जायेगा और अनुसूचित जाित दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 1:7 के अनुपात में रहेगा।
- 12. स्क्रीन अभिनय पदिवका पाठ्यक्रम में सामान्य तथा अन्य पिछड़ी जाति उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर 1:9 के अनुपात के अनुसार और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर 1:15 के अनुपात के अनुसार ऑडिशन के लिए चुना जाएगा। दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के संबंध में, सामान्य दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), ओबीसी-एनसीएल दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दिव्यांग

(पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को 1:15 के अनुपात में सूचीबद्ध किया जायेगा और अनुसूचित जाित दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) तथा अनुसूचित जनजाित दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 1:21 के अनुपात में रहेगा। आगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) - 2021 और ऑडिशन के प्राप्तांकों के आधार पर सामान्य तथा अन्य पिछड़ी जाित उम्मीदवारों को 1:3 के अनुपात के अनुसार और अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात के अनुसार अभिविन्यास तथा कार्यशाला / साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा।

13. लिए के संबंध में, अभिविन्यास और अथवा साक्षत्कार और अथवा ऑडिशन (स्क्रीन अभिनय) के लिए चुने गए उम्मीदवारों के सीट क्रमांक भाफ़िटेसं की वेबसाइट पर घोषित किए जाएँगे। इसके उम्मीदवारों को सूचना उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजी जायेगी। उम्मीदवार को सूचना न प्राप्त होने के लिए भाफ़िटेसं जिम्मेदार नहीं होगा। दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार सामान्य दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), ओबीसी-एनसीएल दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात में सूचीबद्ध किया जायेगा और अनुसूचित जाति दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) तथा अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 1:7 के अनुपात में रहेगा

14.

संयुक्त प्रवेश परीक्षा उतीर्ण करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% प्राप्तांक पाना आवश्यक है, अपिव श्रेणी (एनसीएल) के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 45% प्राप्तांक पाना आवश्यक है,और जो अनु.जाति / अनु. जनजाति और सामान्य- दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवार हैं उन्हें कम से कम 40% प्राप्तांक सुनिश्चित करना आवश्यक है। अनु.जाति / अनु. जनजाति / अ.पि.व श्रेणी (एनसीएल) / सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू लाभों के साथ-साथ संबंधित श्रेणियों के अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएँगे, जैसे की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सामान्य विकलांग उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंक 40% होंगे, अ.पि.व के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 36% होंगे और अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% होंगे।

15.

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी अन्य विश्वविद्यालय से संलग्न किसी संस्थान में प्रवेश पाया है और अथवा किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो प्रवेश के समय उस यूनिवर्सिटी/ संगठन से एक निकासी / त्याग / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्वरोजगार उम्मीदवार से एक घोषणा पत्र अपेक्षित है कि वह पाठ्यक्रम के दौरान अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं। शैक्षिक अविध में किसी भी छात्र को किसी भी शैक्षिक/व्यवसायिक संस्थान अथवा संगठन में शैक्षिक अथवा व्यवसायिक रूप से जुड़ने की अनुमित नहीं है।

16. चूँकि छात्रों को

भारी और बिजली के उपकरणों के साथ काम करना होगा, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।

- 17. जो छात्र संस्थान में प्रवेश पाएँगे उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी अनिवार्य है और ये भुगतान छात्र द्वारा वहन किया जायेगा। यदि किसी छात्र ने पहले से मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, जो शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, तो उसे उल्लिखित पॉलोसी के ब्यौरें को प्रस्तुत करने पर छूट दी जायेगी।
- 18. उम्मीदवारों को परीक्षा अथवा प्रवेश के लिए किसी भी चरण पर यात्रा भत्ता अथवा कोई अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 19. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) 2021 / ऑडिशन / अभिविन्यास / साक्षात्कार जो भी मामले हो, की दिनांक के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 20. किसी भी प्रकार से किए गए प्रचार के कारण उम्मीदवार को परीक्षा प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए अयोग्य माना जाएगा और 5 साल के लिए उन्हें रोक दिया जाएगा।
- 21. उम्मीदवार का प्रवेश, प्रवेश से संबंधित सभी औपचारिकताएँ पूरी होने तक अस्थायी होगा, जिसे शैक्षिणक सत्र के प्रांरभ होने के पश्चात भी आगे जारी किया जायेगा।
- 22. परीक्षा (परीक्षाओं), अर्हता के मानदंड, संबंधित मामलों आदि में भाफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा। साथ ही योग्यता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, असत्य जानकारी देने के लिए दंड, चयन की पद्धित, परीक्षा (परीक्षाओं) का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन आदि से संबंधित भाफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों / संबंधितों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संदर्भ में किसी भी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और महाराष्ट्र रैगिंग विरोधी अधिनियम, 1999 के अनुसार भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान परिसर के अंदर और बाहर किसी प्रकार की रैगिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध है। जो कोई भी भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के अंदर अथवा बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग करेगा, सिम्मिलत होगा, बढ़ावा देगा उकसाएगा उसे उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। संस्थान में प्रवेश के समय उम्मीदवार के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी एफ़िडेविट के रूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की रैगिंग में सिम्मिलत नहीं होगा।
- 24. भाफ़िटेसं परीक्षा / प्रवेश से संबंधित सभी कानूनी विवाद केवल पुणे के न्यायालय / मुंबई के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएँगे।

- 25. एक से अधिक श्रेणी में उर्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को सभी श्रेणियों में विचार किया जाएगा जिससे वह संबंधित है।
- 26. ऑडिशन / अभिविन्यास और साक्षात्कार का आयोजन ऑनलाइन होगा। कोविड 19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ऑडिशन ऑफ़लाइन आयोजित किया जा सकता है।
- 27. स्नातक की डिग्री उसके समकक्ष योग्यता का दावा करने वाले उम्मीदवारों को राज्य या केंद्र सरकार से आवश्यक उसके समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त उसके समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व उम्मीदवार के पास है।
- 28. पाठ्यक्रम हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफ़लाइन) में संचालित किए जा सकते हैं।
- 29. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कक्षाएँ अक्तूबर, 2022 के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

टिप्पणी:

- 1. प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अनुवर्ती शुद्धिपत्र / परिवर्तन / सुधार सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी केवल वेबसाइट पर ही उपलब्ध करावायी जाएगी।
- 2. उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दौरान मान्य और विशिष्ट ईमेल खाते और एक मोबाइल फ़ोन नंबर अवश्य घोषित करना होगा और उसे बनाए रखना होगा और साथ ही साथ अद्यतन जानकारी के लिए भाफ़िटेसं वेबसाइट को निरंतर देखते रहना होगा और उम्मीदवार को किसी भी प्रकार सूचना न प्राप्त होने के लिए भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) - अनुसूची

समूह क

पेपर.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा तिथि
1.	फ़िल्म और टेलीविज़न के लिए निर्माण	
2.	एनिमेशन सिनेमा	
3.	कला निर्देशन और निर्माण संरचना	18/12/2021
4.	स्क्रीन अभिनय	(दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
5.	पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़)	
6.	इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन	

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) - अनुसूची

समूह ख

पेपर.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा तिथि
7.	निर्देशन और पटकथा लेखन	
8.	चलचित्रांकन	19/12/2021
9.	संपादन	(सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे
10.	ध्वनि मुद्रण एवं ध्वनि संरचना	तक)

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) - अनुसूची

समूह ग

पेपर.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा तिथि
11.	ईडीएम के लिए निर्देशन और निर्माण	
	निर्देशन	
12.	ईडीएम के लिए चलचित्रांकन	
	इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन	
13.	ईडीएम के लिए संपादन	19/12/2021
	विडियो संपादन	(दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
14.	ईडीएम के लिए ध्वनि	
	ध्वनि मुद्रण और टेलीविज़न अभियांत्रिकी	
15.	ईडीएम के लिए लेखन	
	, , ,	

प्रशासन

1.	शेखर कपूर	अध्यक्ष, शासी परिषद
2.	भूपेन्द्र कैन्थोला	निदेशक
3.	धीरज मेश्राम	संकायाध्यक्ष (फ़िल्मस्)
4.	संदीप शहारे	संकायाध्यक्ष (टेलीविज़न)
5.	सईद रबीहरिम, आईआईएस	कुलसचिव
6.	मंदार डिग्रजकर	शैक्षणिक समन्वयक सह परीक्षा नियंत्रणक

पुणे के बारे में

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे शहर के मध्य भाग में, बहुत सी पहाड़ियों में से एक हनुमान टेकड़ी, जो पुणे को एक हिल स्टेशन जैसा महसूस कराती है, की ढ़लान पर स्थित है। समुद्र सतह से 560 मीटर की ऊँचाई पर डेक्कन प्लेटू के बाहरी किनारे पर स्थित पुणे शहर को इसके सामान्यतः सुहाने मौसम,अच्छी-खासी बरसात और हरियाली के कारण 'क्वीन ऑफ़ डेक्वन' के रूप में जाना जाता है।

17 वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह मराठों की विनम्र राजधानी, पेशवाओं के प्रशासन में विकसित हुई और औपनिवेशिक दिनों के दौरान शिक्षा तथा सिक्रयता का एक केंद्र बन गयी। यहीं पर सिवित्रीबाई और ज्योतिबा फुले द्वारा भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए स्कूल चलाया गया था और धोंडो केशव कर्वे द्वारा पहला महिला कॉलेज स्थापित किया गया था। तब से, पुणे कई शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों सिहत पूरब में ऑक्सफ़ोर्ड के रूप में उभरा रहा है और यह बड़ी संख्या में अंतर्र्राष्ट्रीय छात्रों के साथ-साथ बाहरी छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

इस शहर में भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के अतिरिक्त पुणे में बडी संख्या में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान भी हैं जैसे कि - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी), राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय(एनएफएआई), राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), अस्ट्रोनोमी और अस्ट्रोफ़िजिक्स के लिए अंतर्विश्वविद्यालयीन केन्द्र (आयुका), राष्ट्रीय विषाणु संस्थान (एनआईवी)। कई शोध संस्थानों जैसै भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च, मॅक्स्मुल्लर भवन, ने शहर के शैक्षिक परिवेश और अधिक समृद्ध किया है।

जहाँ युवाओं की निरंतर उपस्थिति पुणे की सड़कों पर जीवंतता लाती है, वहीं पर कई ऐतिहासिक संरचनाएँ शहर की भव्यता को बढाती हैं जैसे कि - 8वीं सदी में राज्य करने वाले राष्ट्रकूट राजवंश के काल में बनाए गए चट्टान को काटकर बनायी गयी गुफ़ा - पातालेश्वर मंदिर, 16वीं शताब्दी के शनिवार वाड़ा का अवशेष और मराठा साम्राज्य की कीर्ति का प्रमाण सिंहगड़ किला, आगाखान पॅलेस जहाँ महात्मा गाँधी को नजरबंद करके रखा गया था, जिसके विषय में कही और अनकही कहानियों की शहर में बौछार हो रही है।

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, थिएटर, नृत्य और साहित्य अपनी समृद्ध परम्परा है, जो आज तक कायम है, पुणे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचाना जाने लगा है। सवाई गंधर्व संगीत समारोह जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के रुप में मनाया जाता है, पुणे का द्विवर्षीय विनोद दोशी रंगमंच समारोह जो उच्च स्तरीय रंगमंच है, जो कला, स्थापत्यशास्त्र और संरचना (डिज़ाइन) को एक साथ लाता है, पुणे अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह जैसे कुछ महत्वपूर्ण समारोह हैं जो 'पुणेकरों' (पुणे के निवासियों) द्वारा आयोजित किये जाते हैं। पुरुषोत्तम करंडक और फ़िरोदिया करंडक जैसे अंतरमहाविद्यालय नाटक और कला प्रतियोगिताएँ पुणे के सांस्कृतिक जीवन के अविभाज्य अंग हैं। इस शहर में संग्रहालयों का भी योगदान है- जैसे राजा दिनकर केळकर का संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय और रेलवे संग्रहालय एवं भारत के सर्वप्रथम अत्याधुनिक सुविधायों से युक्त खेलकूद के मैदान का मूलस्थान - श्री शिव छात्रपति स्पोर्टस कॉम्लेक्स, बालेवाड़ी।

हाल ही में अपने सभी औद्योगिक विकास, एक तेजी से बढ़ते हुए मोटर वाहन उद्योग और एक उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, पुणे, निश्चित रूप से एक छोटे से कसबे की अनोखी महक को बनाये रखने में सफ़ल हुआ है। पूरे शहर में फैले हुए पथरीले दरवाजें और टाइल के छतवाले घर तथा बहुत सी पुरानी बेकरी एवं उपहार गृहों ने पुणे को, रहने, पढ़ने-लिखने, अनुसंधान करने के लिए एवं आनंद से रहने के लिए एक महान स्थान बना दिया है।

पूछताछ:

भाफ़िटेसं अपनी आवश्यकतानुसार विवरणिका 2021 की विषय-वस्तु में किसी नियम में सुधार करने अथवा जोड़ने का अधिकार रखता है। अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए समय-समय पर पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु में संशोधन करने और तकनीक में आयी आधुनिकता, कालबाह्यता तथा अन्य किसी कारण से परिवर्तन करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।

पूछताछ :

टेलीफ़ोन : + 91 020 2558 0022 / 24 ईमेल : academic.office@ftii.ac.in

वेबसाइट : www.ftii.ac.in

शुद्धिपत्र / संशोधन, यदि कोई हो तो उसे केवल भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान की वेबसाइट www.ftii.ac.in पर घोषित किया जायेगा।

सावधानी की सूचना - भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी एजेंट अथवा प्रशिक्षण केंद्र की प्रतिनियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति / एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे दावों के संदर्भ में चेतावनी दी जाती है। साथ ही उम्मीदवारों दलालों और प्रवेश दिलाने वाले जालसाजों से सतर्क / सावधान रहे जो भाफ़िटेसं में प्रवेश दिलाने का झूठा दावा करते हैं। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा।